भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2798
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **सूक्ष्म सिंचाई**
2798. श्री मुरारी लाल मीनाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
जल की कमी और भू-जल के अत्यधिक दोहन से प्रभावित दौसा क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत राजस्थान के दौसा जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से खेती स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। वर्ष 2015-16 से दौसा जिले में पीडीएमसी के माध्यम से 13,046 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है (28.02.2026 तक)।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) स्थापित किया है। एमआईएफ का मुख्य उद्देश्य राज्यों को पीडीएमसी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए टॉप-अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जुटाने में सहायता करना है। राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित नवाचारी/एकीकृत परियोजनाओं के लिए भी एमआईएफ का उपयोग कर सकते हैं। एमआईएफ के तहत, दौसा जिले सहित राज्य के किसानों को पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के उदेश्य से राजस्थान राज्य के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

*****